बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–08/2015 105 पटना, दिनांक: 13.03.18

कार्यालय आदेश

श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सासाराम प्रखंड, रोहतास संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, चौगाई प्रखंड, बक्सर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 19(मु०)आ० दिनांक 22.04.2015 द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में गेहूँ अधिप्राप्ति में गबन से संबंधित आरोपों के लिए निदेशालय के का०आ०सं० 128 सहपठित ज्ञापांक 746 दिनांक 16.06.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच) रोहतास को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरान्त निम्न मंतव्य प्रतिवेदन दिया गया :–

" श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह को रब्बी विपणन वर्ष 2012–13 में कोचस(पैक्स) क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। उक्त क्रय केन्द्र पर इनके द्वारा 330307.00 क्वींटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसमें से 25923.45 क्वींटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 7113.55 क्वींटल गेहूँ भारतीय निगम से अस्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में भंडारित था। विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम से अस्वीकृत गेहूँ की निलामी की गई। निलामी के पश्चात निलामीकर्त्ता को उक्त गोदाम में अवशेष गेहूँ के उठाव के लिए एस०आई०ओ० निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध निलामीकर्त्ता द्वारा 1474.31 क्वींटल गेहूँ का उठाव किया गया शेष 5639.24 क्वीटल गेहूँ उक्त क्रय केन्द्र के गोदाम में उपलब्ध नहीं रहने के कारण उठाव नहीं हो सका।

इस प्रकार स्पष्ट है कि इनके द्वारा 1474.31 क्वींटल गेहूँ मानक के अनुरूप क्रय नहीं किया गया,जिससे एफ०सी०आई०द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा 5639.24 क्वींटल गेहूँ को गायब कर दिया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते मानक के अनुरूप गेहूँ की अधिप्राप्ति करना एवं अधिप्राप्त अवशेष गेहूँ की सुरक्षा के लिए इनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी थी, जिसके संबंध में निदेश उक्त आदेश ज्ञापांक 688 दिनांक 27.04.2012 द्वारा ससूचित है, परन्तु इन्होने इसका निर्वहन नहीं किया । इनके द्वारा जान बूझकर निजी लाभ के लिए 1474.31 क्वींटल गेहूँ निम्न गुणवत्ता का क्रय किया गया जिसकी निलामी करने में विभाग की प्रति क्वींटल 83.04 रूपया की दर से 1,22,426=70 (एक लाख बाईस हजार चार सौ छब्बीस रूपया सत्तर पैसे) रूपया की क्षति हुई तथा अवशेष 5639.24 क्वींटल गेहूँ जिसका मूल्य 1426.04 रूपया प्रति क्वींटल की दर से कुल 80,41,781=80 (अस्सी लाख ईकतालीस हजार सात सौ ईक्यासी रूपये अस्सी पैसे)रूपया होता है की बिक्री कर दी गई या गायब कर दिया गया

आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण/अभिकथन में भंडारण एवं उठाव की अप्रर्याप्त व्यवस्था के संबंध में पत्राचार करने का दावा अवश्य किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन नही किया है।

इस तरह ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सासाराम प्रखंड, रोहतास –सह–क्रय केन्द्र प्रभारी कोचस (पैक्स) पर प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप सत्य प्रमाणित होता है।"

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के अलोक मे निदेशालय के पत्रांक 1763 दिनांक 09.08.2017 एवं पत्रांक 76 दिनांक 09.01.2018 द्वारा श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह से संचालन प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन की मांग की गई थी जिसके आलोक में उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 12.02.2018 समर्पित किया गया है। अपने अभ्यावेदन में इन्होंने लिखा है कि गेहूँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी थी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । इससे संबंधित आदेश यदि कोई हो तो मुझे उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। वास्तविक रूप से सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रबंधक महोदय की है। वरीय पदाधिकारी, कोचस एवं जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी द्वारा कई बार अवेशष गेहूँ का सत्यापन करवाया गया एवं स्टॉक रजिस्ट्रर के अनुरूप (गुणवत्ता ह्रास के बावजूद) थी। गेहुँ अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में लगभग 81% क्रय केन्द्रों पर गेहूँ के गबन/क्षति की समस्या आयी है। इसके लिए अकेले क्रय केन्द्र प्रभारी को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है। दिसंबर 2012 में मेरी प्रतिनियुक्ति धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी, नोखा के रूप में कर दी गयी तदोपरांत इस क्रय केन्द्र का प्रभार श्री अजय कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सासाराम को मैंने गोदाम का चाभी निदेशानुसार हस्तगत करा दिया इसके बाद अवशेष गेहूँ उनके अभिरक्षा में चला गया। इस कारण गेहूँ का उठाव सम्यक रूप से नहीं पाया और उसके गुणवत्ता का ह्रास हुआ ।

5. अपने अभ्यावेदन मे श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अपनी गलती दूसरे के उपर थोपने का प्रयास किया गया है। इनके अभ्यावेदन में वर्णित यह तथ्य कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि गेहूँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है तथा लगभग 81% क्रय केन्द्रों पर गेहूँ के गबन/क्षति की समस्या आयी है, इसके लिए अकेले क्रय केन्द्र प्रभारी को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह प्रमाणित करता है कि इन्होंने अपने जिम्मेवारी का सम्यक रूप से निवर्हन नही किया जिसके चलते सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह द्वारा जान बूझकर निजी लाभ के लिए 1474.31 क्वींटल गेहूँ निम्न गुणवत्ता का क्रय किया गया जिसकी निलामी करने में विभाग को प्रति क्विंटल 83.04 रूपया की दर से 1,22,426=70 (एक लाख बाईस हजार चार सौ छब्बीस रूपया सत्तर पैसे) की क्षति हुई एवं अवशेष 5639.24 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य प्रति क्विंटल 1426.04 रूपये की दर से कुल 80,41,781=80 (अस्सी लाख ईकतालीस हजार सात सौ ईक्यासी रूपये अस्सी पैसे) होता है, की बिक्री कर दी गयी या गायब कर दिया गया। इस प्रकार सभी कुल 81,64,208=50 (ईक्यासी लाख चौसठ हजार दो सौ आठ रूपये पच्चास पैसे) का सरकारी राजस्व की क्षति/गबन करने का आरोप इनपर प्रमाणित होता है। यह राशि श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से वसूलनीय है।

7. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह पर सचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सासाराम प्रखड, रोहतास संप्रति प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, चौगाई प्रखंड, बक्सर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, के नियम 14 मे किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापांक:–स्था०1/आ०2–08/2015 629 पटना, दिनांक :– 13.03.18

प्रतिलिपि:– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास को उनके पत्रांक 19 (मु०)/आ० दिनांक 22.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह से क्षति/गबन की राशि की वसूली हेतु विधि सम्म्त कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास/बक्सर।
5. प्रंखड विकास पदाधिकारी, सासाराम प्रखंड, रोहतास/चौगाई प्रखंड, बक्सर।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड संख्यिकी पर्यवेक्षक, चौगाई प्रखंड, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक